



Ch. Sarwan Kumar Himachal Pradesh Krishi Vishvavidyalaya  
Palampur - 176062 (H.P.) India  
Office of the Registrar, General Administration Branch



भारत सरकार  
एक साथ - एक साथ - एक भविष्य

☎: 01894-230383

Fax: 01894-230511

Email: registrar@hillagric.ac.in

संख्या. क्यू.एस.डी.8-10/2023/हि.प्र.कु.वि. (सा.प्र.)/-

दिनांक:



16 JUN 2023

30361-445

प्रेषक

कुलसचिव

प्रेषित

1. समस्त संविधिक अधिकारी, चौ0स0कु0 हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यलय, चौ0स0कु0 हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर।
3. समस्त प्रभारी वैज्ञानिक/कार्यक्रम समन्वयक, क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र /क्षेत्रीय अनुसंधान उप केन्द्र/कृषि विज्ञान केन्द्र, चौ0स0कु0हि0प्र0कृषि विश्वविद्यालय।

विषय : शिक्षण संस्थानों द्वारा पिकनिक/भ्रमण पर हायर (Hire)की जानें वाली बसों /वाहनों से सम्बन्धित दिशा-निर्देश।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय में मुझे निदेशक परिवहन, परिवहन निदेशालय, हिमाचल प्रदेश, शिमला से प्राप्त पत्र संख्या: सी.टी. 12-1/स्कूल बस/2023-10760 दिनांक 19.05.2023 की प्रति आप को भेजते हुए यह कहने का निर्देश हुआ है कि उपरोक्त पत्र द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करें।

संलग्न: यथोपरि

भवदीय,

सहायक कुलसचिव (सामान्य प्रशासन)  
चौ0स0कु0हि0प्र0कृषि विश्वविद्यालय,  
पालमपुर।

पृष्ठांकन संख्या: उपरोक्त  
प्रतिलिपि:-

दिनांक : उपरोक्त

1. सह निदेशक सूचना एवं जन-संपर्क, चौ0स0कु0 हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर।
- ✓ 2. प्रभारी, विश्वविद्यालय नेटवर्क सिस्टम, चौ0स0कु0 हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
3. कुलपति /कुलसचिव महोदय के निजी सचिव/ वरिष्ठ निजी सचिव, चौ0स0कु0 हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर।

सहायक कुलसचिव (सामान्य प्रशासन)  
चौ0स0कु0हि0प्र0कृषि विश्वविद्यालय,  
पालमपुर।

संख्या : सी.टी.12-1/स्कूल बस/2023- 10760  
परिवहन निदेशालय  
हिमाचल प्रदेश

सेवा में

1. निदेशक उच्च शिक्षा विभाग, हि0प्र0, शिमला-2
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, हि0प्र0, शिमला-2
3. निदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग, सुन्दरनगर,  
जिला मण्डी, हि0प्र0।
4. निदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, हि0प्र0, शिमला-9
5. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, हि0प्र0, शिमला-9
6. रजिस्ट्रार समस्त विश्वविद्यालय, हि0प्र0 Agriculture University Palampur  
शिमला- 171004.....19/05/2023 51811 Kangra HP

विषय:- शिक्षण संस्थानों द्वारा पिकनिक/भ्रमण पर हायर (Hire) की जानें वाली बसों/वाहनों से सम्बन्धित दिशा-निर्देश ।

महोदय,

परिवहन विभाग द्वारा वाहनों के निरीक्षण के दौरान यह देखा जा रहा है कि जो बसें या अन्य वाहन शिक्षण संस्थानों द्वारा पिकनिक/ भ्रमण पर जाने हेतु हायर किए जाते हैं उन वाहनों की स्पेशल परमिशन नहीं होती हैं । इसके अतिरिक्त ऐसे वाहनों के अन्य दस्तावेज जैसे कि परमिट, फिटनेस, इन्श्योरेन्स, प्रदूषण प्रमाण पत्र, टैक्स इत्यादि का वैध होना भी आवश्यक हैं ।

विभाग द्वारा यह भी देखा गया है कि शिक्षण संस्थानों द्वारा हायर की गई बसों/वाहनों में क्षमता से अधिक सवारियां/ विद्यार्थी होते हैं जिस कारण अक्सर दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप अपने अधीनस्थ समस्त शिक्षण संस्थानों को उचित दिशा-निर्देश जारी कर यह सुनिश्चित करें कि सभी शिक्षण संस्थानों द्वारा पिकनिक/भ्रमण पर हायर की जानें वाली बसों/वाहनों के दस्तावेज पूर्णतया सही हों तथा ऐसे वाहन सम्बन्धित क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी से स्पेशल परमिशन प्राप्त करने के उपरान्त ही तय रूट पर प्रस्थान करें । इसके अलावा समस्त शिक्षण संस्थानों द्वारा विशेष ध्यान रखा जाए कि बसों/वाहनों में सीटिंग क्षमता से अधिक सवारियों/विद्यार्थियों को न बैठाया जाए ताकि किसी भी प्रकार की अप्रत्याशित दुर्घटना से बचा जा सके ।

भवदीय

अनुपम कश्यप  
निदेशक परिवहन  
हिमाचल प्रदेश

प्रतिलिपि:-

1. प्रधान सचिव (परिवहन), हि0प्र0 सरकार को सूचनार्थ प्रेषित है ।
2. महानिदेशक पुलिस, हि0प्र0, शिमला-2 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है ।
3. समस्त उपायुक्त, हि0 प्र0 को उचित एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है ।
4. समस्त पुलिस अधीक्षक, हि0 प्र0 को उचित एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है ।
5. समस्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश को निर्देश दिए जाते हैं कि वह पिकनिक/भ्रमण पर हायर की जाने वाली बसों को स्पेशल परमिशन जारी करते समय विभाग द्वारा जारी पत्र संख्या-1081593 दिनांक 31.10.2019 (प्रतिलिपि संलग्न) में निहित दिशा-निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करें ।

Ar (GA)  
13/06/2023  
Supt  
14/6



निदेशक परिवहन  
हिमाचल प्रदेश



O/o the Directorate of Transport (HP) Shimla- 04  
Contact No: 0177-2803136 (Email: transport-hp@nic.in)  
कार्यालय: निदेशालय, परिवहन डिप्टो, शिमला-171004,  
दुरभाष संख्या : 0177-2803136 (ईमेल: transport-hp@nic.in)



No. CT-9-Instruction- 1081593.

To

**All Regional Transport Officer  
Himachal Pradesh**

Dated: - Shimla-171004 the ..... 31<sup>st</sup> 07<sup>th</sup> ..... 2019

**Subject: - Regarding special permission of stage carriage route permit.**

**Sir,**

This is in continuation to this office D.O. No. CT-9-Instruction-1079777 dated 17.07.2019 on the subject cited above.

It had been a regular practice in the State that Private bus operators obtain special permits to cater to the needs of people of state for marriage/ religious function or picnic parties/study tours etc and in many such cases alternate arrangement for the route from which the bus is being withdrawn was not taken in to consideration. This, in many cases resulted into inconvenience to the public and in some cases it led to the situation of over-loading where adequate transport facilities were not left to cater to the need.

Hence in order to regulate public transport operations in the state, above instructions vide DO letter number D.O. No. CT-9-Instruction-1079777 dated 17.07.2019 were issued. Though achieved its objective to some extent but as indicated by representations received from public as well as private transporter associations/individual transporters, it indicates that complete denial of special permit has led to inconvenience to general public.

After taking considered view on this issue it has been decided that henceforth, RTO will grant the special permission to the stage Carriages buses while ensuring that that no route will be suspended frequently and for long time. While granting the special permission the following facts may please be taken into the consideration:-